



# SMART STUDY INTERNATIONAL SCHOOL

Affiliated to CBSE, New Delhi, Affiliation No. - 1730907, Karjiya Ghati, NH 8, Nathdwara, Rajsamand – 313301 (Raj.)

Phone: 7300051341, 7300051342, 8233009817, E-Mail: smartstudyintschool@gmail.com Website:

[www.smartstudyintschool.com](http://www.smartstudyintschool.com)

## GUIDELINES & POLICIES 2026-27

### School Timings

- Summer Timings: 8:00 am to 2:30 pm (Grades III to XII)
- Foundation Stage: 9:15 am to 1:15 pm (Nursery to Grade II)
- School timings may vary as per the DEO guidelines under specific conditions.

### Leave policy & Application Format

- Early leave for social events or attending functions will not be permitted once the student has entered the school. Students will not be allowed to leave during school hours until emergencies.
- Leave for non-medical reasons must be applied for at least seven (7) days in advance through a written application submitted to the school.
- No early leave will be entertained unless in case of medical emergencies.
- No leave will be sanctioned during examinations.
- Only authorized guardians or parents can pick up the student from school along with a valid ID card. Carrying the ID card is mandatory.
- Students with less than 80% attendance will not be allowed to appear in the final exam.

### Canteen Policy

- Students availing the canteen facility must carry and present a valid school-issued ID card daily. It is mandatory.
- Students who are not availing the canteen facility but wish to eat there must pay ₹100 per head (Grades II to XII) and ₹100 (Nursery to Grade I). Wasting food in the canteen is strictly prohibited.
- Students who are not currently availing themselves of the canteen facility but wish to do so occasionally must book their meal one day in advance, as per the annual calendar menu. In the event of non-booking, students will be required to wait in the designated waiting zone. This provision has been introduced to ensure adequate arrangements for students' favourite menu items.

### Uniform Policy

- Children must wear neat and tidy, washed & ironed uniforms daily.
- Sports uniform must be worn on Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays.
- Regular uniform must be worn on Wednesdays and Saturdays. Sports uniform is not allowed on these days.
- Only plain black sports shoes and blue socks are allowed with both sports and regular uniforms.
- Shoes (plain black) and socks are the part of school uniform, must be neat & tidy.

- School is very much concerned about personal hygiene and hence students must understand the value of it.
- Winter uniform will include a sports jacket for Nursery to Grade XII.
- Children from Nursery to Grade VIII may wear colorful clothes on their BIRTHDAYS. From Grade IX onwards, birthdays must be celebrated in school uniform.

### Bus Policy

- Parents/guardians are requested **not to call bus drivers directly for any reason**. If assistance is required, please coordinate with the bus conductor or the Transport Department.
- **Changes to the allotted bus route or stop** are not permitted without prior approval from the school. Last-minute requests for route or stop changes will not be accepted.
- Students must travel **only on their allotted bus and at their assigned timing**. Elder students are **not permitted** to board buses assigned to younger students.
- Students are **not allowed to get off the bus** to purchase snacks or for any other personal reason.
- The use of abusive language, misbehaviour, bullying, hitting, physical violence, vandalism, or any damage to school property is strictly prohibited. Such actions will be dealt with in accordance with the School Code of Conduct and may result in suspension of the school bus facility and fine/penalty.
- During examinations or under any other circumstances, **elder students will NOT be permitted to travel with younger siblings (Nursery to Class II) on their bus** unless there is a medical emergency.
- Except for students and teachers who are authorized to use the school bus facility, no other person is permitted to enter the school bus. Parents, guardians, relatives, or any other family members are strictly prohibited from boarding the bus.

Any violation of this rule will be considered a breach of the school's transport policy, and appropriate disciplinary action will be taken.

### Birthday Policy

- **Distribution of chocolates, toffees, and return gifts is strictly prohibited in school.**
- Students who wish to share something may bring temple *prasad*, or parents may pre-book sweets from the school canteen to maintain health and hygiene standards.

### Code of Conduct

**Discipline is the Key to Success.**

Our objective is to provide a safe, caring, and stimulating atmosphere for our students. We expect and appreciate the support of students and parents in this regard.

**Rules for Students:**

- The Almanac (School Diary) should be brought to school daily (Grades Nursery – VIII).
- Students must report to school and class on time.
- **Identity cards must be worn daily. In case of loss of an ID card, a fee of Rs. 100/- will be charged. In case of a broken string, a fee of Rs. 50/- will be charged.**

- Students must wear the proper school uniform (as per designated uniform days) and maintain personal hygiene and cleanliness.
- Students must wear proper shoes and socks according to the uniform policy. Boys should have their hair trimmed and oiled. Girls should have their hair oiled with two braids or short hair styled with two ponytails, using only black rubber bands.
- Fancy accessories, mobile phones, expensive items, gadgets, watches, or smartwatches are strictly prohibited. Confiscated items will be returned at the end of the session.
- Students are expected to conduct themselves with dignity, courtesy, and respect.
- Bullying, foul language, and aggressive behaviour, either at school or in the school van, will lead to strong disciplinary action. The first warning will be verbal, the second will be through a formal letter, and the third may result in suspension for a week to a fortnight.
- Students must take care of school property and help keep the campus litter-free.
- **Students who bring their own tiffin are required to carry a napkin to maintain cleanliness and hygiene.**
- **Any damage to school property (including school buildings and premises, classrooms, laboratories, sports facilities and equipment, IT infrastructure, computers and electronic devices, smart boards/panels, soft boards, furniture, library resources, and fire safety equipment) will result in internal disciplinary action and a fine, as applicable, in accordance with the school's rules. In serious cases, legal action may also be initiated.**

#### **Recommendations for Parents:**

- Please read the code of conduct carefully and ensure adherence to the rules set by the school.
- Complete all required information in the Almanac (School Diary).
- Parents may meet teachers or coordinators **only by prior appointment** on working days, **Monday to Friday**.
- **Parents may meet the Principal only with a prior appointment, between 2:30 pm to 3:30 pm on working days (Monday to Friday).**
- \* Walking in without prior approval may result in unexpected waiting times or the unavailability of the concerned person.
- Parents are requested to contact teachers strictly between 2:30 PM and 6:30 PM on working days. Beyond these hours, communication should be limited to text or voice messages to respect the teachers' personal time. Kindly refrain from making any contact on Sundays and public holidays.
- **All communication with parents will be made via [ERP \(SSIS NATHDWARA\)](#) or diary notes (which must be acknowledged by parents).**
- Kindly inform the school if there are any changes to your address, phone number, or any other important information.
- Ensure your child maintains at least 80% attendance. If attendance is below 80%, your child will not be allowed to appear for the Annual Examinations. No retests will be offered.
- For medical emergencies, please submit a valid medical certificate.
- Ensure that you attend PTMs, orientations, open houses, and counseling sessions regularly to maintain open and transparent communication with the school and staff.

- Do not send children suffering from infectious illnesses to school, and ensure they follow the quarantine guidelines provided by the doctor.
- If your child has a history of any chronic or acute medical condition, please provide the necessary information to the school, along with professional guidelines for medical or emergency actions.

### Exam Policy

#### **Assessments / Evaluations/ Tests/ Exams:**

- **Foundation Stage: Regular assessments – 5 PAS (1 oral + 4 written) + Annual Assessment**
- **Newly introduced – Surprise Tests after each chapter – Will never be announced. It will be during their regular period. (Grades 1 onwards)**
- **Periodic Tests & Term Exams / Pre- Boards**
- **III to IX & XI – Date sheet will be shared separately. Subject to change\***
- **80 Marks + 5 Marks NB + 5 Marks SEA + 10 Marks PT Average = 100 Marks**
- **The weightage of the Periodic Test (PT) may vary if assignments form part of the assessment.**
- **NO retest will be conducted in case of absenteeism.**

#### Important Contact number

- **Grievance: 8233009813**
- **DO NOT worry - Without any hesitation, Reach out to us:**
- **The message will reach to Principal / Director Office.**
- **For other departments:**
- **Transportation:7300051341**
- **Accounts / Fees: 7300051342**
- **School help line Number: 8233009817**
- **Reception: 8233009816**

Follow Us on



Event and celebration photos will be shared via Google Drive links, active for 10 days through ERP.



# SMART STUDY INTERNATIONAL SCHOOL

Affiliated to CBSE, New Delhi, Affiliation No. - 1730907, Karjiya Ghati, NH 8, Nathdwara, Rajsamand – 313301 (Raj.)  
Phone: 7300051341, 7300051342, 8233009817, E-Mail: smartstudyintschool@gmail.com Website:  
www.smartstudyintschool.com

## दिशानिर्देश एवं नीतियाँ 2026-27

### विद्यालय समय

- **ग्रीष्मकालीन समय:** प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक (कक्षा III से XII)
- **फाउंडेशन स्टेज:** प्रातः 9:15 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक (नर्सरी से कक्षा II)
- विशेष परिस्थितियों में डीईओ (DEO) के निर्देशानुसार विद्यालय समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

### अवकाश नीति एवं आवेदन प्रारूप

- विद्यार्थी के विद्यालय में प्रवेश करने के बाद सामाजिक कार्यक्रमों अथवा अन्य समारोहों में सम्मिलित होने हेतु शीघ्र अवकाश (Early Leave) प्रदान नहीं किया जाएगा। केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही विद्यालय समय के दौरान छात्र को जाने की अनुमति दी जाएगी।
- गैर-चिकित्सीय कारणों से अवकाश हेतु कम-से-कम सात (7) दिन पूर्व विद्यालय में लिखित आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- चिकित्सीय आपातस्थिति को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में शीघ्र अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- केवल अधिकृत अभिभावक/संरक्षक ही वैध पहचान पत्र (ID Card) के साथ विद्यार्थी को विद्यालय से ले जा सकते हैं। पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- 80% से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

### कैंटीन नीति

- कैंटीन सुविधा का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन विद्यालय द्वारा जारी वैध पहचान पत्र (ID Card) साथ रखना एवं प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- जो विद्यार्थी नियमित रूप से कैंटीन सुविधा नहीं लेते हैं, लेकिन वहाँ भोजन करना चाहते हैं, उन्हें ₹100 प्रति विद्यार्थी (कक्षा II से XII) तथा ₹100 (नर्सरी से कक्षा I) शुल्क देना होगा। भोजन की बर्बादी पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- जो विद्यार्थी नियमित कैंटीन सुविधा नहीं लेते हैं, लेकिन कभी-कभी भोजन करना चाहते हैं, उन्हें वार्षिक कैलेंडर के मेनू के अनुसार एक दिन पूर्व भोजन बुक करना अनिवार्य होगा। यदि पूर्व बुकिंग नहीं की गई है, तो विद्यार्थियों को निर्धारित

प्रतीक्षा क्षेत्र (Waiting Zone) में प्रतीक्षा करनी होगी। यह व्यवस्था विद्यार्थियों के पसंदीदा भोजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लागू की गई है।

### यूनिफॉर्म नीति

- विद्यार्थियों को प्रतिदिन साफ, धुली एवं इस्त्री की हुई यूनिफॉर्म पहनकर विद्यालय आना अनिवार्य है।
- सोमवार, मंगलवार, गुरुवार एवं शुक्रवार को स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है।
- बुधवार एवं शनिवार को नियमित विद्यालय यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। इन दिनों स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म की अनुमति नहीं होगी।
- स्पोर्ट्स एवं नियमित दोनों यूनिफॉर्म के साथ केवल सादे काले रंग के स्पोर्ट्स जूते तथा नीले रंग के मोड़े ही मान्य होंगे।
- काले रंग के जूते एवं मोड़े विद्यालय यूनिफॉर्म का अभिन्न अंग हैं तथा उन्हें साफ-सुथरा रखना आवश्यक है।
- विद्यालय व्यक्तिगत स्वच्छता को अत्यंत महत्व देता है, अतः विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
- शीतकालीन यूनिफॉर्म में नर्सरी से कक्षा XII तक सभी विद्यार्थियों के लिए स्पोर्ट्स जैकेट शामिल होगी।
- नर्सरी से कक्षा VIII तक के विद्यार्थी अपने जन्मदिन पर रंगीन वस्त्र पहन सकते हैं। कक्षा IX से आगे के विद्यार्थियों को जन्मदिन के अवसर पर भी विद्यालय की निर्धारित यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा।

### बस नीति

- अभिभावकों/संरक्षकों से अनुरोध है कि किसी भी कारणवश सीधे बस चालक (Driver) से संपर्क न करें। आवश्यकता होने पर बस परिचालक (Conductor) अथवा परिवहन विभाग से संपर्क करें।
- विद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना निर्धारित बस मार्ग या बस स्टॉप में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम समय में किए गए अनुरोध स्वीकार नहीं होंगे।
- विद्यार्थियों को केवल अपनी निर्धारित बस एवं निर्धारित समय पर ही यात्रा करनी होगी। वरिष्ठ विद्यार्थियों को कनिष्ठ विद्यार्थियों की बस में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
- विद्यार्थियों को रास्ते में किसी भी कारण से, जैसे नाश्ता खरीदने या अन्य व्यक्तिगत कार्य हेतु बस से उतरने की अनुमति नहीं होगी।
- अभद्र भाषा का प्रयोग, दुर्व्यवहार, बुलिंग, मारपीट, शारीरिक हिंसा, तोड़फोड़ अथवा विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में विद्यालय की आचार संहिता के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें बस सुविधा का निलंबन एवं जुर्माना/दंड शामिल हो सकता है।
- परीक्षाओं अथवा अन्य किसी परिस्थिति में वरिष्ठ विद्यार्थियों को अपने छोटे भाई-बहनों (नर्सरी से कक्षा II) के साथ उनकी बस में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि चिकित्सीय आपातस्थिति न हो।

- विद्यालय की बस में केवल विद्यार्थियों एवं विद्यालय की बस सुविधा का उपयोग करने के लिए अधिकृत शिक्षकों को ही यात्रा करने की अनुमति है। इनके अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को विद्यालय की बस में प्रवेश करने या यात्रा करने की अनुमति नहीं है। अभिभावकों, संरक्षकों, रिश्तेदारों अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य का बस में चढ़ना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

इस नियम का उल्लंघन विद्यालय की परिवहन नीति का उल्लंघन माना जाएगा तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विद्यालय के नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

### जन्मदिन नीति

- विद्यालय परिसर में चॉकलेट, टॉफी एवं रिटर्न गिफ्ट का वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- यदि विद्यार्थी कुछ वितरित करना चाहते हैं, तो मंदिर का प्रसाद ला सकते हैं अथवा अभिभावक विद्यालय कैंटीन से पूर्व बुकिंग कर मिठाई मंगवा सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

### आचार संहिता

#### अनुशासन ही सफलता की कुंजी है।

हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्नेहपूर्ण एवं प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करना है। इस दिशा में हमें विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के सहयोग की अपेक्षा एवं सराहना है।

#### विद्यार्थियों हेतु नियमः

- विद्यालय डायरी (Almanac) प्रतिदिन विद्यालय लाना अनिवार्य है। (नर्सरी से कक्षा VIII)
- विद्यार्थियों को समय पर विद्यालय एवं कक्षा में उपस्थित होना चाहिए।
- पहचान पत्र (ID Card) प्रतिदिन पहनना अनिवार्य है। पहचान पत्र खो जाने पर ₹100 तथा केवल डोरी (String) टूटने पर ₹50 शुल्क लिया जाएगा।
- विद्यार्थियों को निर्धारित दिनों के अनुसार उचित विद्यालय यूनिफॉर्म पहननी होगी तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी होगी।
- विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म नीति के अनुसार उचित जूते एवं मोज़े पहनने होंगे। लड़कों के बाल छोटे एवं तेल लगे होने चाहिए। लड़कियों के बालों में तेल लगा होना चाहिए तथा दो चोटी या छोटे बाल होने पर दो पोनीटेल केवल काले रबर बैंड से बनाई जाएँ।
- आकर्षक आभूषण, मोबाइल फोन, महँगी वस्तुएँ, गैजेट्स, घड़ियाँ अथवा स्मार्टवॉच पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। जूट की गई वस्तुएँ सत्र समाप्ति पर लौटाई जाएँगी।
- विद्यार्थियों से गरिमापूर्ण, विनम्र एवं सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।

- विद्यालय अथवा विद्यालय वाहन में बुलिंग, अभद्र भाषा एवं आक्रामक व्यवहार पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। पहली बार मौखिक चेतावनी, दूसरी बार लिखित चेतावनी तथा तीसरी बार एक सप्ताह से पंद्रह दिनों तक निलंबन किया जा सकता है।
- विद्यार्थियों को विद्यालय की संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए तथा परिसर को स्वच्छ रखने में सहयोग देना चाहिए।
- जो विद्यार्थी घर से टिफिन लाते हैं, उन्हें स्वच्छता बनाए रखने हेतु नैपकिन साथ लाना अनिवार्य है।
- विद्यालय की किसी भी संपत्ति (जिसमें विद्यालय भवन एवं परिसर, कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, खेल परिसर एवं खेल सामग्री, आईटी अवसंरचना, कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्मार्ट बोर्ड/पैनल, सॉफ्ट बोर्ड, फर्नीचर, पुस्तकालय संसाधन तथा अग्नि सुरक्षा उपकरण शामिल हैं) को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर विद्यालय के नियमों के अनुसार आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा उपयुक्त आर्थिक दंड लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

### **अभिभावकों हेतु सुझाव:**

- कृपया विद्यालय की आचार संहिता को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उसके पालन में सहयोग करें।
- विद्यालय डायरी (Almanac) में आवश्यक सभी जानकारी पूर्ण करें।
- अभिभावक केवल पूर्व निर्धारित समय लेकर ही सोमवार से शुक्रवार तक शिक्षकों अथवा समन्वयकों (Coordinators) से मिल सकते हैं।
- अभिभावक सोमवार से शुक्रवार, दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच पूर्व नियुक्ति लेकर ही प्रधानाचार्य से मिल सकते हैं।
- बिना पूर्व अनुमति के आने पर संबंधित अधिकारी की अनुपलब्धता अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।
- अभिभावकों से अनुरोध है कि वे कार्य दिवसों में केवल दोपहर 2:30 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच ही शिक्षकों से संपर्क करें। इसके बाद केवल टेक्स्ट अथवा वॉइस मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिनों में किसी भी प्रकार का संपर्क न करें।
- अभिभावकों से संबंधित सभी सूचनाएँ ERP (SSIS NATHDWARA) अथवा विद्यालय डायरी के माध्यम से भेजी जाएँगी, जिनकी अभिभावकों द्वारा पुष्टि (Acknowledgement) आवश्यक होगी।
- यदि आपके पते, मोबाइल नंबर अथवा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कोई परिवर्तन हो तो कृपया विद्यालय को तत्काल सूचित करें।
- सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे की उपस्थिति कम-से-कम 80% हो। यदि उपस्थिति 80% से कम रहती है, तो वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी तथा पुनः परीक्षा (Retest) नहीं ली जाएगी।
- चिकित्सीय आपातस्थिति की स्थिति में वैध चिकित्सा प्रमाण-पत्र (Medical Certificate) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- अभिभावकों से अनुरोध है कि वे पीटीएम (PTM), ओरिएंटेशन, ओपन हाउस एवं काउंसलिंग सत्रों में नियमित रूप से भाग लें, जिससे विद्यालय एवं अभिभावकों के बीच प्रभावी संवाद बना रहे।
- संक्रामक रोग से पीड़ित बच्चों को विद्यालय न भेजें तथा चिकित्सक द्वारा बताए गए क्वारंटीन निर्देशों का पालन करें।
- यदि आपके बच्चे को कोई पुरानी अथवा गंभीर चिकित्सीय समस्या है, तो उसकी जानकारी आवश्यक चिकित्सकीय निर्देशों सहित विद्यालय को उपलब्ध कराएँ।

### परीक्षा नीति

#### मूल्यांकन / आकलन / टेस्ट / परीक्षाएँ:

- फाउंडेशन स्टेज: नियमित मूल्यांकन – 5 PAS (1 मौखिक + 4 लिखित) + वार्षिक मूल्यांकन
- नवीन व्यवस्था – प्रत्येक अध्याय के बाद सरप्राइज़ टेस्ट (कक्षा I से आगे)। इसकी पूर्व सूचना नहीं दी जाएगी तथा यह नियमित पीरियड में ही आयोजित होगा।
- पीरियॉडिक टेस्ट, टर्म परीक्षाएँ एवं प्री-बोर्ड
- कक्षा III से IX एवं XI – तिथि-पत्रक अलग से साझा किया जाएगा। आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभव है।
- 80 अंक + 5 अंक NB + 5 अंक SEA + 10 अंक PT औसत = 100 अंक
- यदि असाइनमेंट मूल्यांकन का हिस्सा होंगे तो पीरियॉडिक टेस्ट (PT) का भारांक परिवर्तित हो सकता है।
- अनुपस्थिति की स्थिति में किसी भी प्रकार की पुनः परीक्षा (Retest) आयोजित नहीं की जाएगी।

### महत्वपूर्ण संपर्क नंबर

- शिकायत (Grievance): 8233009813
- चिंता न करें – बिना किसी संकोच के हमसे संपर्क करें।
- आपका संदेश सीधे प्रधानाचार्य/निदेशक कार्यालय तक पहुँचेगा।
- अन्य विभागों हेतु:
- परिवहन: 7300051341
- फीस: 7300051342
- विद्यालय हेल्पलाइन: 8233009817
- रिसेप्शन: 8233009816

### हमें फॉलो करें

(सोशल मीडिया विवरण)



कार्यक्रमों एवं समारोहों के फ़ोटो ERP के माध्यम से Google Drive लिंक द्वारा साझा किए जाएँगे। यह लिंक 10 दिनों तक सक्रिय रहेगा।